# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

---

प्र.सं. 25 / 2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 114
एडवोकेट शिकुमार आचार्य, कोर्ट कैम्पस, अनूपगढ़

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार श्रीवियजनगर
अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 08.07.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर के पत्रांक / रीडर / 2024 / 322 दिनांक 21.06.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में चाही गयी सूचना अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 186 दिनांक 26.04.2024 को भिजवाई जा चुकी हैं। सूचना प्रेषित करने के उपरान्त भी अपीलार्थी ने सूचना ना देने का आरोप लगाया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया हैं कि उन्हें लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना प्रेषित की भी गई है तो उन्हें प्राप्त नहीं हुई हैं। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के साथ पत्रांक / 186 दिनांक 26.04.2024 की प्रति प्रस्तुत की गयी हैं जिसके द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी हैं। परन्तु सूचना अपीलार्थी को व्यक्तिशः अथवा रजि. डाक द्वारा प्रेषित किये जाने का साक्ष्य प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा भी निवेदन किया गया हैं कि उन्हें सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर को अपीलार्थी को सूचना प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्देशित किया जाता हैं कि निर्णय प्रति की प्राप्ति के सात दिवस के भीतर अपीलार्थी को रजि. डाक के माध्यम से सूचना प्रेषित करें। भविष्य में भी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्र पर निर्धारित समयावधि में विनिश्चय पारित करते हुए निर्धारित समयावधि में आवेदक को सूचना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर I.A.S
अनूपगढ़
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़